(viii) योजना इसी लागत में पूर्ण कर ली जायेगी और इसमें विलम्ब व अन्य कारणों लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(ix) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं। स्वीकृत नार्म अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(x) कराये जाने वाले कार्यों पर वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादे संख्या–163/XXVII(7), दिनांक 22.05.2008 के अनुसार सेन्टेज प्रभार अनुम होगा।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुदा संख्या–13, लेखाशीर्षक–2215–जलपूर्ति तथा सफाई–01–जलापूर्ति –101–शहर जलपूर्ति–95–केन्द्रीय योजनाओं में राज्य का अंश–03–राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप क लिए संचालन व्यय हेतु सहायता (30 प्रतिशत सहायता)–56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या–H22070130052 दिनांक 27 जुलाई, 2022 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–391/09(150)2019/ XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं

भवदीय,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।

पृ0 संख्या–496 (1)//उन्तीस(2)/22–2(29 पे0)/10T.C, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुभील सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 496 / उन्तीस(2) / 22–2(29 पे0) / 10T.C

प्रेषक,

डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कार्यक्रम निदेशक,
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप,
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड),
117, इन्दिरा नगर, देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 29 जुलाई, 2022

विषय :– **एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप के कार्यालय व्ययों हेतु राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 559 / राज्यांश–34(II)–2022–23 दिनांक 15.07.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एन0जी0आर0बी0ए0 कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित राज्य परियोजना प्रबंधन ग्रुप के कार्यालय व्ययों हेतु राज्यांश (शॉर्टफॉल) रू0 54.54 लाख (रू0 चौव्वन लाख चौव्वन हजार मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) योजनाओं का कियान्वयन भारत सरकार के समय–समय पर दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाय।

(ii) स्वीकृत धनराशि कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड) के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल कोषागार में प्रस्तुत करके यथा आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरण से सम्बन्धित वाउचर संख्या व दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून तथा शासन को तुरन्त उपलब्ध करा दी जायेगी।

(iii) केन्द्रांश / राज्यांश से निर्मित योजना के कार्यों की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण शासन / भारत सरकार को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(v) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी माने जायेंगे।

(vi) स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रश्नगत कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(vii) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 एवं उक्त के क्रम में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....2